

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1981/कार्तिक 30, 1903
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1981/KARTIKA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अभिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1981

आ. अ. 86 (अ) :—जबकि भारत के निर्वाचन आयोग से, अपनी तारीख 20 जून, 1981 की अभिसूचना द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के 2-गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हुए उप-निर्वाचन को रद्द कर दिया था, जिसका कि कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के तारीख 6 मई, 1981 की अभिसूचना सं. 100/उ. प्र.-सो. स./4/80 (2) द्वारा अभिसूचित किया गया था।

और जबकि 20 सितम्बर, 1981 की एक परिवर्ती अभिसूचना सं. 100/उ. प्र.-सो. स./4/80 (2) द्वारा, आयोग ने पुनः मतदान की तारीख 22 नवम्बर, 1981 तथा 30 नवम्बर, 1981 यह तारीख जिसके पूर्व उक्त निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा, निश्चित की थी।

और जबकि अपने तारीख 14 नवम्बर, 1981 के आदेश में बताए गए कारणवश, आयोग ने पुनः मतदान की उपरोक्त तारीख को रद्द कर दिया है ।

अब, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 को उक्त अधिनियम की धारा 30 के साथ पढ़ते हुए तथा उस बारे में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा पुनः मतदान की निश्चित तारीख 22 नवम्बर, 1981 को रद्द करता है और यह निदेश देता है कि इस निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर नया मतदान, उसके द्वारा निकट भविष्य में निर्धारित की गई तारीख को, होया और इस हेतु अपनी तारीख 6 मई, 1981 की संशोधित की गई अधिसूचना संख्या 100/उ. प्र.-लो. स./4/80 (2) में निम्नलिखित संशोधन करता है ;

विद्यमान खण्ड (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा” ।

30 जून, 1982 (बुधवार)

[सं. 100/उ. प्र.-लो. स./4/80 (2)]

आदेश से,
के. गणेशन, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1981

O.N. 86(E).—Whereas the Election Commission of India, by its notification dated the 20th June 1981, had cancelled the poll taken at the bye-election from 2-Garhwal Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh the programme for which had been notified by the Election Commission in its notification No. 100/UP-HP/4/80(2), dated the 6th May, 1981;

And whereas, by a subsequent notification No. 100/UP-HP/4/80(2) dated 29th September 1981, the Commission fixed the 22nd November 1981 as the date of repoll and 30th November 1981 as the date before which the said election shall be completed;

And whereas for the reasons stated in its order dated the 14th November 1981, the Commission has cancelled the aforesaid date of repoll;

Now, therefore, in exercise of its powers under article 324 of the Constitution, section 153 of the Representation of the People Act, 1951 read with section 30 of that Act and all other powers enabling it in that behalf, the Election Commission hereby cancels the date of re-poll fixed on the 22nd November 1981 and directs that a fresh poll shall be taken at all the polling stations in the constituency on a date to be fixed by it in due course and for this purpose makes the following amendments in its notification No. 100/UP-HP/4/80(2), dated the 6th May 1981, as amended;

For the existing clauses (d) and (e), the following clause shall be substituted namely,

“(d) the 30th June, 1982 (Wednesday), as the date before which the Election shall be completed”.

[No. 100/UP-HP/4/80(2)]

By order,

K. GANESAN, Secy. to the Election Commission of India

